

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 234]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 27 जुलाई 2023—श्रावण 5, शक 1945

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2023

क्रमांक एफ ए 3-33/2017/1/पांच (25) : मध्यप्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उपधारा (1) और धारा 15 की उपधारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर, राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-33/2017/1/पांच (42) दिनांक 5 अगस्त, 2017 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

क. अनुसूची 1%2.5 - में,

- (i) क्रम संख्या 99 क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)
"99ख	1905	एक्स्ट्रूशन की प्रक्रिया के माध्यम से विनिर्मित बिना तले या बिना पके स्नैक पेलेट्स, चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों";

- (ii) क्रम संख्या 108 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)
108"क	2309	फिश सोल्युबल पेस्ट";

(iii) क्रम संख्या 156क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या

और प्रविष्टियों को अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)
156ख	2619	लिंग-डोनाविट्ज (एलडी) स्लैंग;

(iv) क्रम संख्या 218 क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)
218कक	56050020	इमिटेशनरी धागा या सूत, जिसे व्यापारिक भाषा में किसी भी नाम से जाना जाता है ";

ख. अनुसूची II-6% में, क्र. सं. 137 के कॉलम (3) में, प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि (i) असली जरी धागा (सोना) और चांदी का धागा कपड़ा धागे के साथ संयुक्त (ii) नकली जरी धागा या सूत, जिसे व्यापारिक भाषा में किसी भी नाम से जाना जाता है, के अलावा धातुयुक्त धागा, चाहे गिम्पड हो या नहीं, कपड़े का धागा, या पट्टी या शीर्ष 5404 या 5405 के समान, धागे, पट्टी या पाउडर के रूप में धातु के साथ संयुक्त या धातु से ढका हुआ को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

ग. अनुसूची III - 9% में,

(i) क्रम संख्या 16 के समक्ष कॉलम (3) में शब्दों "टोस्टेड रोटी और इसी तरह के उत्पादों" के स्थान पर, "टोस्टेड ब्रेड और इसी तरह के उत्पादों, एक्स्ट्रूजन की प्रक्रिया के माध्यम से विनिर्मित बिना तले या बिना पके स्नैक पेलेट्स, चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 28 के सामने, कॉलम (3) में, प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "लिंग (एलडी) डोनाविट्ज- स्लैंग के अलावा, लोहे या स्टील के विनिर्माण की प्रक्रिया में निर्मित स्लैंग डॉस (दानेदार स्लैंग के अलावा), स्केलिंग और अन्य अपशिष्ट स्लैंग" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

2. यह अधिसूचना दिनांक 27 जुलाई, 2023 से लागू होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2023

क्र. एफ ए-3-33-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-33-2017-1-पांच (25), दिनांक 27 जुलाई 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 27th July 2023

No. F-A3-33-2017-1-V (25) : In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department's notification No. F-A3-33-2017-1-V (42) Dated 29th June 2017, namely:-

In the said notification, -

A. in Schedule I -2.5%,

(i) after S. No. 99A and entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
"99B.	1905	Un-fried or un-cooked snack pellets, by whatever name called, manufactured through process of extrusion";

(ii) after S. No. 108 and entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
"108A.	2309	Fish soluble paste";

(iii) after S. No. 156A and entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
"156B.	2619	Linz-Donawitz (LD) Slag ";

(iv) after serial number 218A and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
"218AA.	56050020	Imitation zari thread or yarn known by any name in trade parlance";

B. in Schedule II-6%, against S. No. 137, for the entry in column (3), the entry "Metallised yarn, whether or not gimped, being textile yarn, or strip or the like of heading 5404 or 5405, combined with metal in the form of thread, strip or powder or covered with metal, other than- (i) real zari thread (gold) and silver thread combined with textile thread (ii) imitation zari thread or yarn known by any name in trade parlance" shall be substituted;

C. in Schedule III-9%,

- (i) against S. No. 16, in column (3), for the words "toasted bread and similar toasted products", the words "toasted bread and similar toasted products, unfried or un-cooked snack pellets, by whatever name called, manufactured through process of extrusion" shall be substituted;
- (ii) against S. No. 28, for the entry in column (3), the entry "Slag, dross (other than granulated slag), scalings and other waste from the manufacture of iron or steel, other than Linz-Donawitz (LD) slag" shall be substituted;

2. This notification shall come into force on 27th July, 2023

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.